

न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)  
बईजलास श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

दायर तारीख 30/05/2018

वादपत्र संख्या 78/2018 (2018/00450)

अनवान

01. गिरीराज पिता रामबक्ष सोमानी  
02. जतनदेवी पत्नि गिरीराज सोमानी  
सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)  
.....वादीगण

बनाम

01. लादुलाल उर्फ लालचन्दद पिता बद्रीलाल माली  
02. धर्मचन्द उर्फ धर्मेश पिता बद्रीलाल माली  
सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।  
03. तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।  
..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री महेश दाधिच अधिवक्ता वादीगण  
श्री ..... अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 का0 अधिनियम

-: निर्णय :-

दिनांक :- 19/11/2019

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 20.08.2018 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम गंगापुर पटवार हल्का गंगापुर स्थित आराजी नं0 2605/1988 रकबा 0.12हे0 भूमि का विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सहाड़ा से तलब किया गया। तहसीलदार सहाड़ा ने अपने पत्रांक/पी0डी0/671 दिनांक 31.10.2019 को प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

ग्राम गंगापुर स्थित आराजी नं0 2605/1988 रकबा 0.12हे0 भूमि का ही विभाजन चाहने से तहसीलदार द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसे अधिवक्ता वादी द्वारा स्वीकार है।

अतः वादगण पत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।




लगातार.....02

सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)


//02//

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	गिरीराज पिता रामबक्ष सोमानी सा० देह खातेदार	गंगापुर	2605/1988/2	0.0182
		कुल	1	0.0182
2	जतनदेवी पत्नी गिरीराज पिता सोमानी सा० देह खातेदार	गंगापुर	2605/1988/3	0.0182
		कुल	1	0.0182
3	लादुलाल उर्फ लालचन्द धर्मचन्द उर्फ धर्मेश पिता बद्रीलाल माली सा० देह खातेदार	गंगापुर	2605/1988/1	0.0436
			2605/1988/4	0.0400
		कुल	2	0.0836

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

  
(विकी सहायक कलक्टर  
सहायक कलक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
सहायक कलक्टर पदेन  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)  
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)